सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 30973 दिनांक 11 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर महामारी से नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले के साथ–साथ सम्पर्ण राज्य एवं राष्ट्र भी इस संक्रमण से ग्रसित होकर संघर्षरत हैं। यहां तक की लॉक डाउन के साथ–साथ सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की हुई हैं।

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के मध्यनज़र विभिन्न अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण, फैलाव से बचाव एवं सावधानी के क्रम में विभिन्न स्तर पर उत्कृष्ट कार्य एवं विशेष योगदान किया जा रहा हैं।

भीलवाड़ा जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु अपनायीं गयी रणनीति, रोड़मेप, कौशल के कम में **"भीलवाड़ा मॉड़ल"** बाबत् जिले के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किए गए योगदान के संबंध में सभी अधिकारियो/कर्मचारियो को आदेश दिये जाते हैं कि वे किसी प्रकार का, किसी भी स्तर पर, किसी भी माध्यम से कोई बयान जारी नहीं करने / चर्चा नहीं करे, ताकि किसी प्रकार की विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

जिले में पद स्थापित प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी से अपील की जाती हैं कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति, ऊर्जा, बुद्धिमता का उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण, बचाव, सावधानी में किया जावे तथा इसे अपना मुख्य ध्येय समझा जावे।

आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"**, एवं **"The Disaster Management Act, 2005"** के तहत प्रदत्त शक्तियो के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आदेश की पालना जिले में पद–स्थापित सभी अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर**

4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, भीलवाड़ा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
12. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
14. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
15. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा
17. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
18. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
19. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
21. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
22. महा–प्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा
23. सचिव कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा
24. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
25. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
26. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
27. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
28. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
29. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
30. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा